

—सतासी—

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या-सं0वि0क0नि0 5-2114 / 11-2006-500(85) / 2001
लखनऊ दिनांक 30 मई, 2006
अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0 5-3249 / 11-2004-500(85) / 2001 दिनांक 22 जून, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में शब्द "नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन, नोएडा, जनपद गाजियाबाद" के स्थान पर शब्द "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-सं0वि0क0नि0-5-2114(1) / ग्यारह-2005-500(85) / 2001 तददिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 30 मई, 2006 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 200 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को और 100 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह)
विशेष सचिव

Uttar Pradesh Shasan
Sansthatgat Vitt, Kar Evam Nibandhan Anubhag-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. S.V.K.N.5-2114/11-2006-500(85)/2001 dated May 30, 2006 for general information.

No. S.V.K.N. 5-2114/11-2006-500(85)/2001

Lucknow, Dated May 30, 2006

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Government notification no. K.N. 53249/11-2004-500(85)/2001 dated June 22, 2004.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, for the words, "Noida Export Processing Zone, Noida, district Ghaziabad", the words, "a Special Economic Zone" shall be substituted.

By order,
Sd/-Illegible
(Prabhat Chandra Chaturvedi)
Pramukh Sachiv.